

PALASH SECURITIES LIMITED

CIN – L74120UP2015PLC069675

REGD. OFFICE - P.O. HARGAON, DIST SITAPUR (U.P.), PIN – 261 121

Phone No. (05862) 256220-221; Fax No.: (05862) 256 225

E-mail – palashsecurities@birlasugar.org; Website-www.birla-sugar.com

28th June, 2022

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai 400 051

Symbol : PALASHSECU

The Dy. General Manager
Corporate Relationship Department
BSE Ltd.
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai-400 001
Stock Code : 540648

Dear Sir,

Sub: Newspaper advertisement disclosure titled 'Notice of 8th Annual General Meeting, Remote e-voting and Book closure'

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published in Business Standard in English & Hindi (Lucknow Edition) regarding the Notice of 8th Annual General Meeting, Remote e-voting and Book closure.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Palash Securities Limited



Deepak Kumar Sharma
Chief Financial Officer
Tel. No. : (033) 2243 0497
Email – dsharmal@birla-sugar.com



Encl: As Above

PALASH SECURITIES LIMITED

CIN - L74120UP2015PLC069675

REGD. OFFICE - P.O. HARGAON, DIST SITAPUR (U.P.), PIN - 261 121

Phone No. (05862) 256220-221; Fax No.: (05862) 256 225

E-mail - palashsecurities@birlasugar.org; Website-www.birla-sugar.com

**NOTICE OF THE 8TH ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting of the Company ("AGM") will be convened on Tuesday, July 19, 2022 at 11:00 a.m through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, January 13, 2021 and May 05, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 12th May 2020, 15th January, 2021 and 13th May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue.

In terms of MCA Circulars and SEBI Circular the Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2021-22 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2022 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circulars.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date of July 12, 2022 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the members are informed that the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, will be transacted through voting by electronic means. The particulars relating to Remote e-voting are given below:






1. The Remote e-voting period commences on Friday, July 15, 2022 (9:00 am) and shall end on Monday, July 18, 2022 (5:00 pm). The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
2. The Cut-off date for determining the eligibility of member for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Tuesday, July 12, 2022.
3. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the notice by email and holding shares as of the Cut-off date i.e. Tuesday, July 12, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or kolkata@linkintime.co.in
4. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e- Voting system during the AGM;
5. The Members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM;
6. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the AGM.
7. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company at the Company's email address palashsecurities@birlasugar.org

Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, July 13, 2022 to Tuesday, July 19, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

By Order of the Board
For Palash Securities Limited
Sd/-

Place: Kolkata
Date: June 27, 2022

Deepak Kumar Sharma
Chief Financial Officer



संक्षेप में

हीरो फिनकोर्प की रेटिंग घटी

वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एसएंडपी) ने सोमवार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हीरो फिनकोर्प लिमिटेड की दीर्घावधि क्रेडिट रेटिंग को बीबी प्लस से घटाकर बीबी कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने यह पहल अगले 12 से 18 महीनों के दौरान जोखिम समायोजित करने के लिए इस फाइनेंस कंपनी के पूंजीकरण को ध्यान में रखकर की है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कारोबार में विस्तार के कारण जोखिम समायोजित करने संबंधी पूंजीकरण में कमी आई है।

वेंकटरमण कृष्णमूर्ति का निधन

सार्वजनिक क्षेत्र को कई इकाइयों का कायाकल्प करने वाले वेंकटरमण कृष्णमूर्ति का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने बीएचईएल, मारुति उद्योग लिमिटेड और सेल का चेयरमैन रहते हुए इन्हें नया मुकाम दिलाया। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से सम्मानित कृष्णमूर्ति को देश में 'सार्वजनिक इकाइयों का पितामह' कहा जाता है। तमिलनाडु के करुवेली कस्बे में जन्मे कृष्णमूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एयरफोल्ड के तकनीकी सहयोगी के तौर पर की थी। उन्हें 1954 में योजना आयोग में बिजली परियोजनाओं का प्रभारी बनाया गया।

पावरग्रिड लिमिटेड

कंडक्टर विनिर्माताओं का "नामांकन हेतु अनुरोध" आरएफई (2022)

संदर्भ: सीसी/सीएस/कंडक्टर/आरएफई (2022) तिथि: 28.06.2022

पावरग्रिड लिमिटेड और अन्य उद्योगों द्वारा निर्धारित परियोजनाओं के लिए कंडक्टर के प्रस्ताव हेतु कंडक्टर विनिर्माताओं का नामांकन "नामांकन हेतु अनुरोध" आरएफई (2022) तदुपरोक्त प्रस्ताव हेतु अनुबंध (आरएफसी) की प्रक्रिया द्वारा करने का इच्छुक हैं।

मौद्रिक में अप्रैल, 2018 और मार्च, 2020 क्रमशः जारी आरएफई (2018) सूचना और तदनुवर्ती आरएफई (2020) सूचना के संबंध में, कुछ विवेका आदेशों 31 मार्च, 2022 को नामांकित किए गए थे और पर्याप्त, नामांकन की श्रेणी 31 मार्च, 2022 तक आगे बढ़ा दी गई है। इस आरएफई (2022) सूचना का उद्देश्य नए विनिर्माता का नामांकन सुगम बनाना है। जिसकी श्रेणी 31 मार्च, 2023 तक होगी। तदनुसार, पहले से नामांकित आरएफई को इस आरएफई (2022) सूचना के संबंध में अपने आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

कंडक्टर विनिर्माता, जो पावरग्रिड में पहले से नामांकित हैं, उनको पावरग्रिड द्वारा उनकी विनिर्माण सुविधाओं और उनकी वित्तीय स्थिति में नामांकन के प्रस्ताव की अवधि में हुए परिवर्तनों की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचना भेजी जा रही है, उक्त जानकारी के अभाव में, उनके द्वारा आरएफई (2018) तथा/अथवा अनुवर्ती आरएफई (2020) के तहत प्रस्तुत किए गए डेटा/सूचना/प्रलेखीय साक्ष्य विचारित किए जाएंगे।

अगले आरएफई के माध्यम से सभी नामांकन के पूर्ण होने तक, जोकि लगभग एक वर्ष की अवधि के प्रस्ताव अनुमानित है, पावरग्रिड द्वारा टीबीसीबी परियोजनाओं सहित निम्न परियोजनाओं के लिए कंडक्टर के सभी प्रस्ताव, पहले से नामांकित विनिर्माताओं और इस आरएफई (2022) के माध्यम से नामांकित विनिर्माताओं से निष्पादित किए जाएंगे।

तथापि, पावरग्रिड का समय समय पर आरएफई आमंत्रित करने और आरएफसी का उपक्रम, आवश्यकता के अनुसार ग्राहक, एक या एक से अधिक खंडों में करने का अधिकार सुरक्षित है। पावरग्रिड का, निम्न कोई कारण बावजू, नामांकन की श्रेणी के दौरान किसी भी समय किसी भी नामांकित विनिर्माता को सूची से हटाकर करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

अतएव, पावरग्रिड इच्छुक भारतीय कंडक्टर विनिर्माताओं से उपरोक्त उद्देश्य के लिए इस आरएफई (2022) के संबंध में आवेदन आमंत्रित करता है। नामांकन के लिए विस्तृत अर्हताओं सहित आरएफई प्रलेख डाउनलोडिंग के लिए <https://pgcleps.buyaction.in> पर निष्कात उपलब्ध है। एक आरएफई-उपरोक्त समस्तलेख दिनांक 04.07.2022 को आमंत्रित किया जाएगा। आवेदन की संख्या को भी प्रकाशित <https://pgcleps.buyaction.in> पर 28.07.2022 को 11.00 बजे तक अपलोड की जाएगी और आवेदन की हार्ड कोपी 30.07.2022 को 11.00 बजे तक जमा करनी होगी। आवेदन उशी दिनांक 30.07.2022 को 11.30 बजे से खोले जाएंगे।

अतिरिक्त विवरण, जिन्हें आरएफई (2022) के परिशिष्ट/परिवर्तन, यदि कोई, संश्लिष्टित के लिए कृपया ई-पोर्टल <https://pgcleps.buyaction.in> देखें। सभी आरएफई प्रलेख हमारी वेबसाइट <http://www.powergrid.in> तथा भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<https://eprocure.gov.in>) पर भी केवल संदर्भ के प्रयोक्ताओं उपलब्ध है।

सभी प्रश्नकार्य/संशय: "उप महासंचालक (सीएस-जी 0), पावरग्रिड, 'चीथामिन', ब्लॉक सं. 2 सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001, हरियाणा के साथ +91(0124) – 2822363, 2822364 को संश्लिष्ट किया जाएगा।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

कार्यालय: बी-9, कुतब इस्टीट्यूशनल परिसर, कटवायिया सारंग, नई दिल्ली-110016
कॉर्पोरेट कार्यालय: 'सीथामिन', प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
वेबसाइट: www.powergrid.in, सीआईडी: एल4010/बीएल1989/बीओआई038121

एक महत्त्वपूर्ण पीएसयू

मौजूदा माहौल अस्थिर: चंद्रशेखरन एनएमडीसी संयंत्र की कीमत दमदार

एन चंद्रशेखरन ने कहा, महंगाई के कारण से सभी श्रेणियों की मांग हो सकती है प्रभावित

टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के चेयरमैन आर. चंद्रशेखरन ने कंपनी की 59वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए शेयरधारकों को बताया कि मौजूदा कारोबारी वातावरण काफी अस्थिर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कारकों के कारण मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि हो रही है और महंगाई के कारण सभी श्रेणियों की मांग प्रभावित हो सकती है।

चंद्रशेखरन ने कहा कि मुद्रास्फीति को जिन कारकों से रफ्तार मिल रही है उनमें भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चुनौतियां और कच्चे तेल एवं कई अन्य जिन्यों की मांग एवं आपूर्ति में अंतर शामिल हैं। चंद्रशेखरन ने शेयरधारकों से कहा, "इस अनिश्चित माहौल में हम अल्पकालिक बाधाओं से निपटने के लिए मजबूत निष्पादन और फुर्ती पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस दौरान पैदा होने वाले अवसरों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।" चंद्रशेखरन ने वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बारे में बताया हुए कहा, 'वैश्विक महामारी और हालिया भू-राजनीति घटनाओं



के कारण पैदा हुई चुनौतियों के कारण वृहद परिवेश में काफी उतार-चढ़ाव दिख रहा है जो लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और कंपनी अब जल पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। फिजलहाल देश में उसकी पहुंच 20.1 करोड़ से अधिक परिवारों तक है और वह 26 लाख से अधिक आउटलेट्स को आपूर्ति करती है। चंद्रशेखरन ने कहा कि विलय-अधिग्रहण के जरिये विस्तार पर जोर देगी। उन्होंने कहा, "हम जल के मोर्चे पर और फूड एवं बेवरेज से मोर्चे पर भी अपना

शेयरधारकों से कहा

■ अल्पकालिक बाधाओं से निपटने के लिए मजबूत निष्पादन और फुर्ती पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही कंपनी

■ प्रत्याशित चुनौतियों ने कंपनी के लिए नए तरीके से सोचने, चुस्त रहने और भविष्य के लिए तैयार रहने का अवसर भी पैदा किया है

■ कंपनी विलय-अधिग्रहण के जरिये विस्तार पर जोर देगी

■ टाटा कंज्यूमर अपने आरएंडडी बजट में भी वृद्धि करेगी, इस साल 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

एनएमडीसी संयंत्र की कीमत दमदार

देव चटर्जी मुंबई, 27 जून

दिग्गज खनिज कंपनी एनएमडीसी के बैंकर और शेयरधारक कंपनी के इस्पात संयंत्र की विभाजित करने को मंजूरी देने जा रहे हैं। इससे कंपनी की बिक्री का रास्ता साफ हो जाएगा। बैंक अधिकारियों का कहना है कि इस विभाजित कंपनी की बिक्री में भारत की शीर्ष इस्पात कंपनियों के हिस्सा लेने के आसार हैं। इस बिक्री से 4 अरब डॉलर तक की कीमत मिल सकती है क्योंकि कंपनी की छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की खदानें होने से बोली में प्रतिस्पर्धा तगड़ी रहेगी।

इस समय कंपनी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60.8 फीसदी है। यह चालू कैलेंडर वर्ष में छत्तीसगढ़ के नगरना में स्थित सालाना 30 लाख टन क्षमता के इस्पात संयंत्र में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। विभाजन की योजना के मुताबिक इस्पात कंपनी में एनएमडीसी की मिरर शेयरधारिता होगी और एनएमडीसी द्वारा इस्पात संयंत्र में किए गए 18,000 करोड़ रुपये के निवेश को इक्विटी के रूप में नगरना इटीग्रेटेड स्टील प्लांट (एनआईएसपी) में हस्तांतरित किया जाएगा।

एक बैंकिंग सूत्र ने कहा, 'भारत पेट्रोलिएम कॉर्पोरेशन की बिक्री प्रक्रिया में सरकार को महज एक बोली मिली और इस बिक्री को टालना पड़ा। लेकिन इससे इतर एनएमडीसी के इस्पात संयंत्र के लिए सभी इस्पात कंपनियां बोली लगाएंगी क्योंकि इसके पास लौह अयस्क की खदानें हैं।'

बैंकर ने नाम प्रकाशित नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि बिक्री प्रक्रिया में टाटा स्टील, आइसएल, और वेदांत

वेदांत ने जुटाया कर्ज

पृष्ठ 1 का शेष...

मार्च 2022 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मौद्रिक नीति में सख्ती शुरू की थी और उसी महीने ब्याज दर में 25 आधार अंक का इजाफा किया था। उसके बाद से फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 125

आधार अंक की बढ़ोतरी की है। पिछले कुछ महीनों से भारतीय कंपनियों के लिए कर्ज महंगा हो गया है क्योंकि ऊंची मुद्रास्फीति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। मई से अब तक आरबीआई ने रीपो दर में 90 आधार अंक का इजाफा किया

है। इसलिए कर्ज लेने वाले बैंक का रुख कर रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जून की शुरूआत में बैंकों से कर्ज 13.1 फीसदी बढ़ गया, जो तीन साल में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इस बीच जून की 7.7 फीसदी से बढ़कर 24.1 फीसदी तक बढ़ गया। इसी दौरान एक रेटिंग वाले 10 वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड का प्रतिफल बढ़कर 8.48 फीसदी हो गया।

सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल ही कॉर्पोरेट बॉन्ड का पैमाना होता है। ब्याजबर्ग के आंकड़ों के अनुसार एएए रेटिंग वाले 10 वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड का प्रतिफल 31 मार्च के 7 फीसदी से बढ़कर 24 जून को 7.7 फीसदी हो गया। इसी दौरान एक रेटिंग वाले 10 वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड का प्रतिफल बढ़कर 8.48 फीसदी हो गया।

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	निगरी संघति (ओं) का विवरण (बी)	एन.पी.ए. की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1	कर्ज खाता क्र. H.LAPDM700265688	बेसमेंट और तल मंजिल (सामने का पार्क), प्लॉट नं. 1, ब्लॉक एन, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली- 110048	17.01.2022	रु. 1,66,67,131.97/- (रुएक एक करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार एक सौ इकतीस और सानवे पैसे मात्र) 17.01.2022 के अनुसार
2	1. करुणा प्राईवेट प्राइवेट लिमिटेड	अरुण द्विवेदी (करुणा प्राईवेट प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक)		
3	अरुण द्विवेदी			
4	गौरी द्विवेदी			
5	प्रीडर मोर्टेज प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर)			

सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफोर्सेबल ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 113(2) के अंतर्गत सूचना

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाले (ले) ने ऋण खाने के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्च में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लौ) के नाम के अग्रे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धराशिय बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले (लौ) की ओर से ऋण धराशिय का पुनर्गुणन में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लौ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनपर परिसंपत्तियों (स्वयं सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वार्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवाले को अभिविनियम की धारा 113(2)के अंतर्गत सूचनाओं भी जारी की गई है। उपर्युक्त को द्रष्टव्य रखते हुए कंपनी एलद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लौ) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अंशतः ब्याज, लातन, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बने हुए अग्र/अंश के पूर्व दायावत्वाका निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित ऋण रकम खो गई संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि संपत्तियों कागन की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, " कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोर्टेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों को बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्वर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लातनों और प्रयासों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अग्र कर सकते हैं, इसके अलावा वह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंतर सुरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता।"

सर्वेक्षणी अधिविनियम की उपधारा 13 (2) के प्रावधानों के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पड़े के माध्यम से अस्थायी नोड्यम में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार को पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबन्धित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी कृते इंडियायूसव हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

क्र. सं.	ऋण खाता सं./ संस्था/ बैंक का नाम	मूल उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	न्यास का नाम	प्रकार/आकार/ संघति का प्रकार	कुल बकाया देय रुपये में	अंशिम राशि जमा (ईएमपी) रुपये में	आरक्षित मूल्य (रुपये) में	निरीक्षण की दिनांक	नीलामी की दिनांक और समय	कबजे का प्रकार
1	9000599/ सिटी बैंक	अफजाल अहमद / खदीजा अहमद	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो	भूमि: एन.ए. निर्मित/प्लेट: 800 वर्ग फीट (फ्रीहोल्ड)	37,62,664.82 20/06/2022 तक	2,14,200/-	21,42,000/-	07/07/2022	13/07/2022 11:30:00	सांकेतिक
प्रतिभूत सम्पत्ति पता : प्लेट सं टीएफ-14/1, मकान सं. 119/155 का बाग, बुधशुभना अपार्टमेंट कंभारी लैन वार्ड जगदीश चंद्र बोस,लखनऊ, पिनकोड-226001										
2	314922612581/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस्बीआई)	प्रमोद कुमार बाजयोगी/माया राम मोय	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो	भूमि: 1000 वर्ग फीट निर्मित/प्लेट: 300 वर्ग फीट (फ्रीहोल्ड)	18,18,157.58 20/06/2022 तक	64,302.50/-	6,43,025/-	07/07/2022	13/07/2022 12:00:00	सांकेतिक
प्रतिभूत सम्पत्ति पता : प्लॉट नंबर 34 खसर सं. 32 मिन पर, ग्राम लोहरामाह, परगना तहसील और जिला, लखनऊ, पिनकोड-226012										
3	312355618918/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस्बीआई)	नरेंद्र कुमार सचदेवा/नीलम सचदेवा/श्री शमशेर सिंह	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो	भूमि: 1000 वर्ग फीट निर्मित/प्लेट: 300 वर्ग फीट (फ्रीहोल्ड)	13,38,975.29 20/06/2022 तक	85,680/-	8,56,800/-	07/07/2022	13/07/22 12:30:00	सांकेतिक
प्रतिभूत सम्पत्ति पता : प्लॉट नंबर 62-ए, आरजी सं. 148, (आरजी) खाता सं. 95) स्थित ग्राम बिथुर खुर्द तहसील और जिला, कानपुर पिनकोड-208001										
4	9000360/सिटी बैंक	अतुल अवस्थी	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो	भूमि: 6458 वर्ग फीट निर्मित/प्लेट: एन.ए. (फ्रीहोल्ड)	77,90,118.00 20/06/2022 तक	13,00,000/-	1,30,00,000/-	07/07/2022	28/07/2022 11:30:00	सांकेतिक
प्रतिभूत सम्पत्ति पता : प्लॉट सं. 8-बी/32, वृंदावन योजना-2, रायबरेली रोड वार्ड इन्द्राहिन पुर, लखनऊ पिनकोड-226014										
5	30828399704/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस्बीआई)	खेम चन्द्र/बाबू देवी/पूरी देवी	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो	भूमि: 647.56 वर्ग फुट निर्मित/प्लेट: 430.56 वर्ग फुट (फ्रीहोल्ड)	16,18,212.15 20/06/2022 तक	1,03,140/-	10,31,400/-	07/07/2022	28/07/2022 12:00:00	सांकेतिक
प्रतिभूत सम्पत्ति पता : मकान सं. 250 पुरानी बस्ती नौबस्ता परगना तहसील और जिला, लखनऊ पिनकोड- 208001										
6	एलबीएलयूसी000 00967791/आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	कृष्णा मोहन श्रीवास्तव/मीना श्रीवास्तव	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो	भूमि: 323 वर्ग फुट निर्मित/प्लेट: 323 वर्ग फुट (फ्रीहोल्ड)	6,32,527.13 20/06/2022 तक	1,12,016.40/-	11,20,164/-	07/07/2022	28/07/2022 12:30:00	सांकेतिक
प्रतिभूत सम्पत्ति पता : 5/322 रजनी शारदा नगर रायबरेली रोड, लखनऊ पिनकोड-226008										
7	एलबीएलयूसी000 01310706/आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	नौशाद आलम/सवीरा खातुन	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो	भूमि: 530.66 वर्ग फुट निर्मित/प्लेट: 500 वर्ग फुट (फ्रीहोल्ड)	53,39,195.15 20/06/2022 तक	1,51,588.60/-	15,15,886/-	07/07/2022	28/07/2022 13:00:00	सांकेतिक
प्रतिभूत सम्पत्ति पता : मकान सं. 777 राजाजीपुरम पिनकोड- 226017										
24 जून, 2022 को प्रकाशित उक्त सूचना में वर्णित अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित है। है।										
स्थान: कानपुर/लखनऊ तिथि: 28.06.2022										
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड										

पलाश सिक्वोरिटीज लिमिटेड

CIN- L74120UP2015PLC069675

पंजीकृत कार्यालय: डाकघर हरगाँव, फिना सैलापुर (उ.प्र.), पिन - 261 121 नुदामा (05862) 256220-221 फ़ैक्स (05862) 256225

ई-मेल: palashsecurities@birlasugar.org वेबसाइट: www.birla-sugar.com

आठवीं वार्षिक साधारण बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा बही बंद रहने की सूचना

एनएमडीसी संयंत्र की बिक्री प्रक्रिया के अंतर्गत उधार लेने वाले (ले) ने ऋण खाने के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्च में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लौ) के नाम के अग्रे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धराशिय बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले (लौ) की ओर से ऋण धराशिय का पुनर्गुणन में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लौ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनपर परिसंपत्तियों (स्वयं सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वार्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवाले को अभिविनियम की धारा 113(2)के अंतर्गत सूचनाओं भी जारी की गई है। उपर्युक्त को द्रष्टव्य रखते हुए कंपनी एलद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लौ) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अंशतः ब्याज, लातन, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बने हुए अग्र/अंश के पूर्व दायावत्वाका निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित ऋण रकम खो गई संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि संपत्तियों कागन की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, " कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोर्टेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों को बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्वर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लातनों और प्रयासों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अग्र कर सकते हैं, इसके अलावा वह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंतर सुरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता।"

सर्वेक्षणी अधिविनियम की उपधारा 13 (2) के प्रावधानों के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पड़े के माध्यम से अस्थायी नोड्यम में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार को पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबन्धित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी कृते इंडियायूसव हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

एनएमडीसी संयंत्र की बिक्री प्रक्रिया के अंतर्गत उधार लेने वाले (ले) ने ऋण खाने के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्च में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लौ) के नाम के अग्रे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धराशिय बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले (लौ) की ओर से ऋण धराशिय का पुनर्गुणन में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लौ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनपर परिसंपत्तियों (स्वयं सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वार्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवाले को अभिविनियम की धारा 113(2)के अंतर्गत सूचनाओं भी जारी की गई है। उपर्युक्त को द्रष्टव्य रखते हुए कंपनी एलद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लौ) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अंशतः ब्याज, लातन, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बने हुए अग्र/अंश के पूर्व दायावत्वाका निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित ऋण रकम खो गई संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि संपत्तियों कागन की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, " कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोर्टेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों को बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्वर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लातनों और प्रयासों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अग्र कर सकते हैं, इसके अलावा वह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंतर सुरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता।"

सर्वेक्षणी अधिविनियम की उपधारा 13 (2) के प्रावधानों के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पड़े के माध्यम से अस्थायी नोड्यम में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार को पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबन्धित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी कृते इंडियायूसव हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

एनएमडीसी संयंत्र की बिक्री प्रक्रिया के अंतर्गत उधार लेने वाले (ले) ने ऋण खाने के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्च में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लौ) के नाम के अग्रे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धराशिय बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले (लौ) की ओर से ऋण धराशिय का पुनर्गुणन में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लौ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनपर परिसंपत्तियों (स्वयं सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वार्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवाले को अभिविनियम की धारा 113(2)के अंतर्गत सूचनाओं भी जारी की गई है। उपर्युक्त को द्रष्टव्य रखते हुए कंपनी एलद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लौ) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अंशतः ब्याज, लातन, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बने हुए अग्र/अंश के पूर्व दायावत्वाका निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित ऋण रकम खो गई संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि संपत्तियों कागन की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, " कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोर्टेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों को बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्वर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लातनों और प्रयासों के साथ संपूर्ण बकाया दे